छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन-5, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हेमचन्द यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (1 जुलाई, 2008 से 30 जून, 2009) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, राजनांदगांव शहर के मध्य से गुजरने वाली नेशनल हाइवे क्रमांक-6 पर फोरलेन निर्माण का कार्य मनमाने तरीके से किये जाने से लोगों को हो रही असुविधा की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

रायपुर
दिनांक 23 फरवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

Date 24/2/2010

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन-5, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

में

संशोधन

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी,2010 की दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक-3 -नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण के उप पद (1) की द्वितीय पंक्ति में अंकित **''कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री''** के स्थान पर **''पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री''** पढ़ा जाये।

रायपुर

दिनांक 24 फरवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा

सचिव.